उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-128/2015/1388/71-1-2015-जी-97/2015
लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2015
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़, इलाहाबाद तथा गोरखपुर में रिक्त आचार्य तथा प्रवक्ता के पदों पर संविदा के आधार पर तैनात किए जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2015/126, दिनॉक 30-06-2015 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 06 अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08, दिनॉक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संविदा के आधार पर 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले चिकित्सा शिक्षक:-

(1) ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
(2) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
(3) मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
(4) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
(5) निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
(6) स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
(7) संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे।

3- शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08, दिनॉक 22-01-2015 में निर्धारित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनॉक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

5- संविदा पर तैनात किये गये संबंधित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, उनके शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्रों/अर्हता के दस्तावेजों का सत्यापन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ/संबंधित प्रधानाचार्य अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-128/2015/1388(1)/71-1-2015- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आजमगढ़, इलाहाबाद तथा गोरखपुर।
4- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़, इलाहाबाद तथा गोरखपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आजमगढ़, इलाहाबाद तथा गोरखपुर।
6- संबंधित अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षक।
7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद तथा गोरखपुर।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-128/2015/1388/71-1-2015-जी-97/2015,

दिनॉक 22 जुलाई, 2015 का संलग्नक

क्र0	विशिष्टता का नाम/पदनाम	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	तैनाती का स्थान
1	सामान्य सर्जरी (प्रवक्ता)	डा0 अकलेश कुमार, पुत्र श्री राम नाथ, पता-ग्राम नरकटा बैरागीपुर, पोस्ट-हरदासपुर, जिला अम्बेडकर नगर	अन्य पिछड़ा वर्ग	मेडिकल कालेज, आजमगढ़
2	माइक्रोबायलोजी (प्रवक्ता)	श्री रूचि गुप्ता, पत्नी श्री अवधेश कुमार गुप्ता, पता-ए-150, बुद्धानगर, नियर कानपुर नगर	सामान्य	मेडिकल कालेज, आजमगढ़
3	फार्माकोलॉजी (आचार्य)	डा0 सलिल कुमार श्रीवास्तव, पुत्र स्व0 श्री गोबिन्द कृष्ण श्रीवास्तव, पता-एच0 16, सी0आई0डी0 कालोनी, कोका कोला के पीछे, आदिल नगर, रिंग रोड, लखनऊ	सामान्य	मेडिकल कालेज, गोरखपुर
4	स्किन एण्ड बी0डी0 (प्रवक्ता)	डा0 पारिजात बरनवाल, पुत्र डा0 एस0 सी0 गुप्ता, पता-जोधी का पुरा आजमगढ़	सामान्य	मेडिकल कालेज, गोरखपुर
5	स्किन एण्ड बी0डी0 (प्रवक्ता)	डा0 अनूप कुमार, पुत्र श्री एस0 के0 नंगिया, पता-703 बी0, मोहददीपुर, गोरखपुर	सामान्य	मेडिकल कालेज, गोरखपुर
6	माइक्रोबायलोजी (प्रवक्ता)	डा0 रीना सचान, पुत्री श्री एस0 पी0 सचान, पता-44सी0, लाउदर रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद	सामान्य	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।